

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

चुनाव अत्यावश्यक

क्रमांक:-प.13(2)साप्र/2/2013

जयपुर, दिनांक: 30.11.2022

-: आदेश :-


माननीय राज्यपाल महोदय राज्य में दिनांक 05.12.2022 (सोमवार) को होने वाले राज्य विधानसभा उप चुनाव, 2022 के फलस्वरूप विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 21-सरदारशहर (जिला चूरु) में मतदान के दिन का सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) चूरु को प्राधिकृत करते हैं। साथ ही पुर्नमतदान की स्थिति में जहां पुर्नमतदान होगा उस मतदान क्षेत्र/क्षेत्रों में पुर्नमतदान की तिथि को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु भी प्राधिकृत करते हैं।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(शैली किशानी)
विशिष्ट शासन सचिव


प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
3. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण, राजस्थान जयपुर।
5. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प.8(2)(30)निर्वा. /2017/9612 दिनांक 11.11.2022 के क्रम में।
6. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव गण।
8. संम्भागीय आयुक्त, बीकानेर।
9. जिला कलक्टर, चूरु।
10. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान जयपुर।


(मन मोहन गौड़)
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंच, जयपुर।
5. रक्षित पत्रायली।


सहायक शासन सचिव